राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)
(दूरभाष 0141–2227229, Email-pdme2k_rdd@yahoo.com)

बैठक कार्यवाही विवरण

शासन सचिव, ग्रामीण विकास की अध्यक्षता में जिलों के अधिशाषी अभियन्ता (अभि0)/परियोजना अधिकारी (अभि0) की दिनांक 11.1.2016 को समिति कक्ष, उत्तर–पश्चिम भवन, सचिवालय जयपुर में बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्नानुसार निर्देश दिये गये :–

1. आवास योजना :–

1 वर्ष 2015–16 के 101015 आवासों के लक्ष्यों के विरूद्ध 80116 खातें फ्रीज किये गये है, जिनमें से मात्र 63066 एफटीओ सत्यापित किये गये है। सत्यापित खातों की तुलना में अभी भी 15868 एफटीओ सत्यापित किये जाने शेष है, जिनमें बांसवाडा 3837, डूंगरपुर 2766, उदयपुर 1824, प्रतापगढ 1026 एवं चित्तौडगढ 598 एफटीओ सत्यापित किये जाने अभी भी शेष है।

2 वर्ष 2011–12 के स्वीकृत आवासों में से कुल 27823 आवास अपूर्ण है, जिनमें से 12 जिलों में ही 21712 आवास अपूर्ण है। मुख्यतः उदयपुर में 7120, डूंगरपुर में 3713, बांसवाडा में 2217, भीलवाडा में 1515, बांरा 892, बून्दी में 1804, झालावाड में 1846 व राजसमंद में 1000 आवास अभी भी अपूर्ण है।

3 वर्ष 2012–13 के स्वीकृत आवासों में से कुल 73365 आवास अपूर्ण है, जिनमें से 12 जिलों में ही 60819 आवास अपूर्ण है। मुख्यतः उदयपुर में 22052, डूंगरपुर में 12454, बांसवाडा में 8260, भीलवाडा में 3004, बाडमेर में 3277, बांरा 2405, बून्दी में 1466, झालावाड में 1273, राजसमंद में 1708 व प्रतापगढा में 2301 आवास अभी भी अपूर्ण है।

4 वर्ष 2013–14 के स्वीकृत आवासों में से कुल 45339 आवासों की द्वितीय किश्त जारी होना शेष है, जिनमें से 12 जिलों में ही 37062 आवासों को द्वितीय किश्त जारी किया जाना शेष है। मुख्यतः उदयपुर में 14199, डूंगरपुर में 3635, बांसवाडा में 4794, प्रतापगढ में 1996, भीलवाडा में 2121 लाभार्थियों को द्वितीय किश्त दिया जाना शेष है। इसी प्रकार कुल 129196 आवास अपूर्ण है, जिनमें से 12 जिलों में ही 114001 आवास अपूर्ण है। मुख्यतः उदयपुर में 39332, डूंगरपुर में 21268, बांसवाडा में 19321, प्रतापगढ में 7718, भीलवाडा में 4748 आवास अपूर्ण है।

5 वर्ष 2014–15 के स्वीकृत आवासों में से कुल 43674 आवासों की द्वितीय किश्त जारी होना शेष है, जिनमें से 12 जिलों में ही 39503 आवासों को द्वितीय किश्त जारी किया जाना शेष है। मुख्यतः बांसवाडा में 10182, उदयपुर में 7586, डूगरपुर में 5593, करौली 5008, प्रतापगढ में 3890, भीलवाडा में 1591 लाभार्थियों को द्वितीय किश्त दिया जाना शेष है।

6 इंदिरा आवास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष में कुल उपलब्ध राशि 895 करोड रू. में से 721 करोड रू. 12 जिलों में ही उपलब्ध थे, जिनमें से कुल व्यय राशि 368 करोड रू. में 12 जिलों द्वारा 286 करोड रू. व्यय किये गये है। अभी भी मुख्यतः उदयपुर में 129 करोड, डूंगरपुर में 95 करोड, बांसवाडा में 47 करोड, प्रतापगढ में 20 करोड, भीलवाडा में 33 करोड, चित्तौडगढ में 25 करोड रू. की राशि अभी भी उपलब्ध है।

4. सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

1. 14वीं लोकसभा के सांसदों एवं पूर्व राज्यसभा सांसदों के योजनान्तर्गत खातों को बन्द कर सूचना राज्य मुख्यालय को भिजवाई जावे । खाता बन्द करने से पूर्व समस्त देनदारियों का भुगतान सुनिश्चित करें ।
2. सांसद योजनान्तर्गत जारी (लोकसभा एवं राज्यसभा) स्वीकृतियों के विरूद्ध अन्य जिलों को जारी राशि का नोडल जिलों द्वारा आईडब्ल्यूएमएस में इन्द्राज किया जाकर आवंटित राशि में से घटाया जावे। इसी प्रकार राशि प्राप्त करने वाले जिले द्वारा प्राप्त राशि का इन्द्राज आईडब्ल्यूएमएस पर किया जावे ।
3. सांसद योजना की भारत सरकार की वेबसाईट में योजना की प्रगति का नियमित रूप से इन्द्राज किया जावे ।
4. सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में अनुशंषित कार्यो की निश्चित समय सीमा में प्रशा./तक./वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जावे ।
5. सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के 01.04.2014 के अपूर्ण कार्यो को माह दिसम्बर 2015 तक आवश्यक रूप से पूर्ण किया जावे एवं आईडब्ल्यूएमएस पर प्रगति को नियमित रूप से अपडेट किया जावे ।

परि.निदे. एवं उप सचिव
(मो एवं मू)

क्रमांकः एफ 4(17)ग्रावि/अनु–8/2015/डीओ/ जयपुर, दिनांक 01/02/2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन) ग्रामीण विकास विभाग।
5. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास
6. परि. निदे. एवं उप सचिव,/एसएपी/(मो. एवं मू.), ग्रामीण विकास विभाग।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राज0।
8. परियोजना निदेशक, एसएपी–द्वितीय, ग्रामीण विकास विभाग।
9. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास/श्री योजना।
10. परियोजना अधिकारी, जिला परिषद, समस्त
11. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

परि.निदे. एवं उप सचिव
(मो एवं मू)